

राज्य सलाहकार समिति – विद्युत मण्डल
STATE ADVISORY COMMITTEE-ELECTRICITY BOARD (SAC-EB)

अध्यक्ष कायलय :
कक्ष क्र. 63, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल
दूरभाष : 0755-2441455

Chairman's Office :
Room No. 63, Mantralaya
Vallabh Bhanvan, BHOPAL
Phone : 0755-2441455

सचिव कार्यालय :
म.प्र.रा.वि.नं., शक्ति भवन
विद्युत नगर, जबलपुर – 482 008
दूरभाष : 0761-2663152

Secretary's Office :
MPSEB, Shakti Bhawan
Vidyut Nagar, Jabalpur – 482008
Phone : 0761-2663152

सूचना

क्रमांक सचिव/रा.स.स.-वि.मं./२१९


जबलपुर, दिनांक १५-५-२००९

दिनांक 1.11.2000 की स्थिति में तत्कालीन मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के गैर राज्य स्तरीय संवर्गों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा समिति के समक्ष राज्य आवंटन हेतु शम्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे ।

भारत शासन द्वारा आदेश दिनांक 6.1.2004 के माध्यम से समिति हेतु जारी विषयावली एवं समिति द्वारा दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य हुई सहमति के आधार पर जारी "आवंटन की प्रक्रिया" के प्रावधानों के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि गैर राज्य स्तरीय संवर्गों में कार्यरत समस्त कार्मिक उसी राज्य को आवंटित माने जावेंगे, जिस राज्य की भौगोलिक सीमा में वे दिनांक 1.11.2000 की स्थिति में कार्यरत थे ।

उपरोक्त कार्मिक, समिति द्वारा जारी "आवंटन की प्रक्रिया" के सरल क्रमांक 10 के प्रावधानों के आलोक में दोनों उत्तरवर्ती राज्य विद्युत मण्डलों के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेशानुसार



सचिव

राज्य सलाहकार समिति-विद्युत मण्डल

प्रतिलि पि:

1. श्री आर.पी. कपूर, अध्यक्ष, राज्य सलाहकार समिति-विद्युत मण्डल, कक्ष क. 63, भूतल, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल ।
2. श्री व्ही.के. वर्मा, सदस्य, राज्य सलाहकार समिति-वि.मं. एवं प्रबंध संचालक सीएसपी होल्डिंग कंपनी लिमि., डंगनिया, सुन्दर नगर, रायपुर ।
3. अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक, म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा, भोपाल ।
4. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, डंगनिया, रायपुर ।
6. अंडर सेक्रेटरी, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
7. सूचना पटल, ब्लाक नं. 14 भूतल, शक्ति भवन, म.प्र.राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर ।

—कमांक 4 एवं 5 हेतु—कृपया उपरोक्त सूचना विभिन्न कार्यालयों के सूचना-पटलों एवं विद्युत मंडलों की वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि संबंधितों को निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन देने का अवसर मिल सके ।